न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 64/2016 **दायर दिनांकः 28.04.2016**

उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां

वादी

बनाम

1. गिरधर गोपाल पुत्र जमनालाल जाति धाकड
2. परमानन्द पुत्र जमनालाल जाति धाकड़
3. विष्णुप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड
4. हरिशंकर पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर

आदेश

दिनाकः 17.02.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी सवंत् 2039 से 2042 ख.नं. 506/2 रकबा 21 बीघा भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं खाते में स्थित है। जिसके सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख.नं. 1100 रकबा 2.55 है0 बनाकर वादी के खाते दर्ज किये है। वादी की भूमि के लगवा ग्राम मेरमातालाब तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 ख.नं. 506 रकबा 10 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते, ख.नं. 506/2 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 3 के खाते ख.नं. 506 मि0 रकबा 9 बीघा प्रतिवादी क्रम 4 के खाते एवं ख.नं. 505 रकबा 3 बीघा प्रतिवादी क्रम 4 के खाते किस्म तालाब व तलाई खाते दर्ज है। जिसके बाद सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख.नं. निम्न प्रकार बनाकर दर्ज किए है।

हाल		साबिक	
ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
1102	1.63	506	10 बीघा

1106	1.48	506 मि0	9 बीघा
1100/1209	1.43	506/2	8 बीघा 17 बिस्वा
1098	0.45	505	3 बीघा
1099	0.45		

सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा बन्दोबस्त करते समय गैर कानूनी तरीके से वादी के पुराने ख.नं. 506/2 रकबा 21 बिघा भूमि के नये ख.नं. 1100 बनाकर रकबा 2.55 है0 खाते दर्ज किया है। जबकि वादी के खाते ख.नं. 506/2 रकबा 21 बीघा के हिसाब से 3.36 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों ने वादी के खाते 0.81 है0 भूमि कम दर्ज कर दी जिसे दुरूस्त करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने अवैधानिक रूप से बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी की उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के खाते में बढाकर दर्ज कर दी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं. साबिक	रकबा	है0 में जो बनता है	ख.नं. हाल	रकबा	घटा या बढ़ा
1	वादी पुरूषोत्तम	506/2	21 बीघा	3.36 है0	1100	2.55	–0.81 है0
2	प्र0वा0 गिरधार गोपाल परमानन्द	506	10 बीघा	1.60 है0	1102	1.63	+0.03 है0
3	प्र0वा0 हरिशंकर	506/2	8 बीघा 17 बिस्वा	1.40 है0	1100/1209	1.43	+0.03 है0
4	प्र0वा0 विष्णुप्रसाद	506 मि0	9 बीघा	1.44 है0	1106	1.48	+0.04 है0
5	प्र0वा0 5 राजकीय भूमि तालाब व तलाई	505	3 बीघा	0.48 है0	1098 1099	0.45 0.45	+0.42 है0

इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने अपूर्ण फेमाईश कर बिना जांच पड़ताल किए गैर कानूनी रूप से वादी के खाते में 0.81 है0 भूमि कम करके प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की भूमि ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में 0.03 है0 प्रतिवादी क्रम 3 विष्णुप्रसाद की भूमि ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में 0.04 है0 प्रतिवादी क्रम 4 हरिशंकर की भूमि ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 में 0.03 है0 एवं प्रतिवादी क्रम 5 की

भूमि ख.नं. 1098 रकबा 0.45 है0 में किस्म परिवर्तन कर तालाब तलाई 0.42 है0 भूमि अधिक बढाकर दर्ज कर दी गई जिसको वादी प्रतिवादीगण के खाते से कम करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बिना न्यायालय सहायता के उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना संभव नहीं है यदि उक्त गलती को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी को अपरमिति क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में किया जाना संभव नहीं है तथा वादी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित कराने का अधिकारी है कि वाके माल ग्राम मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां की प्रतिवादी कम 1 व 2 गिरधर गोपाल व परमानन्द भूमि ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में से 0.03 है0 प्रतिवादी कम 3 विष्णु प्रसाद की भूमि ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 प्रतिवादी कम 4 हरिशंकर की भूमि ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 एवं प्रतिवादी कम 5 की भूमि ख.नं. 1098 में से 0.42 है0 भूमि कम करके नये ख.नं. बनाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने व वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी कम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर दिनांक 04.01.2016 को धारा 80 सी0पी0सी0 का 2 माह की अवधि का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन नोटिस की अवधि दिनांक 06.03.2016 को समाप्त होने के पश्चात् भी इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया गया इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी कम 5 के अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने पर तथा धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी कम 5 को दिनांक 04.01.2016 को प्रेषित करने पर व दिनांक 06.03.2016 को नोटिस की अवधि समाप्त होने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त भूमि एवं पक्षकारान तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस बाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे कि – (अ) वाके ग्राम माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां में प्रतिवादी कम 1 व 2 गिरधर गोपाल व परमानन्द की भूमि ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में से 0.03 है0 प्रतिवादी कम 3 विष्णु प्रसाद की भूमि ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 प्रतिवादी कम 4 हरिशंकर की भूमि ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 में से 0.03 है0 एवं प्रतिवादी कम 5 की भूमि ख.नं. 1098 में से 0.42 है0 भूमि कम करके नये ख.नं. बनाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे इस हेतु प्रतिवादी कम 5 को आदेश दिया जावे। (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ल 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत PW–1 का शपथ पत्र पेश किया गया। रिकार्ड Exp. करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सूनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ख.नं. 506/2 रकबा 21 बीघा के नये ख.नं. 1100 बनाकर रकबा 2.55है0 खाते दर्ज किया गया है, जबकि वादी के खाते ख.नं. 506/2 रकबा 21 बीघा के हिसाब से 3.36 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी इस प्रकार 0.81 है0 भूमि कम दर्ज की गई है तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 गिरधर गोपाल व परमानन्द के ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में से 0.03 है0 प्रतिवादी क्रम 3 विष्णुप्रसाद के ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 प्रतिवादी क्रम 4 हरिशंकर की ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 में से 0.03 है0 एवं प्रतिवादी क्रम 5 के ख.नं. 1098 में 0.42 है0 भूमि कम करके नये ख.नं. 1100 बनाकर रकबा 2.55 है0 वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबंदी संवत् 2039–42 ग्राम मेरमातालाब की ख.नं. 506 रकबा 21 बीघा दर्ज है, जिसका बाद सेटलमेन्ट ख.नं. 1100 रकबा 2.55 है0 बनाया गया है, इस प्रकार वादी के 0.81 है0 भूमि कम कर दी गई। प्रतिवादी क्रम 1 गिरधर गोपाल के खनं. 506 रकबा 10 बीघा के स्थान पर नये ख.नं. 1102 बनाकर 1.63 है0 दर्ज किये गये जो 1.60 है0 के स्थान पर 1.63 है0 है जिसमें 0.03 है0 ज्यादा दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी क्रम 4 हरिशंकर के ख.नं. 506/2 रकबा 8.17 बिस्वा 1.40 है0 के स्थान पर ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 0.03 है0 ज्यादा दर्ज कर दिया गया। वादीक्रम 3 विष्णुप्रसाद 506 मि0 रकबा 9 बीघा के 1.44 है0 के ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 0.04 है0 ज्यादा दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी क्रम 5 के ख.नं. 505 रकबा 3 बीघा 0.48 है0 के स्थान पर ख.नं. 1098, 0.45 है0 व 1099 रकबा 0.45 है0 कुल 0.90 है0 0.42 है0 ज्यादा दर्ज कर दिया गया। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपराक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की प्रतिवादी क्रम 1 गिरधर गोपाल पुत्र जमनालाल की ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में से 0.03 है0 प्रतिवादी क्रम 4 की ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 में से 0.03 है0, प्रतिवादी क्रम 3 ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 व प्रतिवादी क्रम 5 राजकीय भूमि तालाब

तलाई ख.नं. 1098 रकबा 0.45 है0 में से 0.42 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 है0 का नया ख.नं. नम्बर बनाकर वादी के खाते में दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)

उपखण्ड अधिकारी,
अटरू, जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 64/2016

उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां

वादी

बनाम

1. गिरधर गोपाल पुत्र जमनालाल जाति धाकड
2. परमानन्द पुत्र जमनालाल जाति धाकड़
3. विष्णुप्रसाद पुत्र जमनालाल जाति धाकड
4. हरिशंकर पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है, अतः वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश किये जाते है –

उपराक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की प्रतिवादी क्रम 1 गिरधर गोपाल पुत्र जमनालाल की ख.नं. 1102 रकबा 1.63 है0 में से 0.03 है0 प्रतिवादी क्रम 4 की ख.नं. 1100/1209 रकबा 1.43 है0 में से 0.03 है0, प्रतिवादी क्रम 3 ख.नं. 1106 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 व प्रतिवादी क्रम 5 राजकीय भूमि तालाब तलाई ख.नं. 1098 रकबा 0.45 है0 में से 0.42 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.52 है0 का नया ख.नं. नम्बर बनाकर वादी के खाते में दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X................................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2020 को जारी किया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: